न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)—जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 03/2019
3. उनवान : 1. नारायण पुत्र गैंदाराम उर्फ गोदाराम

2. सुवालाल पुत्र पूरणमल
3. लालचन्द पुत्र पूरणमल
4. रामचन्द्र पुत्र गैंदाराम उर्फ गोदाराम (फौत)

4/1. मुकेश पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ हाल तहसील पलसाना जिला सीकर।

4/2. सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ हाल तहसील पलसाना जिला सीकर।

4/3. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ हाल तहसील पलसाना जिला सीकर।

4/4. ग्यारसी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी चन्द्रभान जाति अहीर निवासी मण्डा भैसलाना तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

5. श्रवणलाल पुत्र मोहन लाल (फौत)

5/1. कमला पत्नी श्रवणलाल जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ हाल तहसील पलसाना जिला सीकर।

5/2. कैलाश पुत्र श्रवणलाल जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ हाल तहसील पलसाना जिला सीकर।

5/3. सजना पत्नी मोहन लाल पुत्री श्रवणलाल जाति अहीर निवासी चक नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।

5/4. ममता देवी पत्नी कैलाश पुत्री श्रवणलाल जाति अहीर निवासी क नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।

6. मेवाराम पुत्र मोहन लाल
7. भीवाराम पुत्र मोहन लाल (फौत)

7/1. गीता देवी पत्नी भींवाराम
7/2. शंकर सिंह पुत्र भींवाराम
जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

7/3. मीरा देवी पुत्री भीवाराम पत्नी मूलचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम नया बास मण्डा तहसील चौमू जिला जयपुर।

7/4. लाली देवी पुत्री भीवाराम पत्नी सुरेश जाति अहीर निवासी ग्राम नया बास मण्डा तहसील चौमू

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

जिला जयपुर।

8. फूलाराम पुत्र गेंदाराम उर्फ गेंदाराम (फौत)

   8/1. हरिराम पुत्र स्व० फूलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

9. रामेश्वर लाल पुत्र मोहन लाल (फौत)

   9/1. लाडा देवी पत्नी रामेश्वर लाल

   9/2. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल

   9/3. सुमन यादव पुत्री रामेश्वर लाल

10. कन्हैयालाल पुत्र मालीराम उर्फ मालूराम

11. सागरमल पुत्र मालीराम उर्फ मालूराम (नाम हजफ)

12. रामकुंवार पुत्र मालीराम उर्फ मालूराम

13. ओमप्रकाश पुत्र मालीराम उर्फ मालूराम (नाम हजफ)

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोपाल लाल पुत्र मोटूराम
2. जगदीश पुत्र मोटूराम
3. दयालचन्द पुत्र मोटूराम
4. मूलचन्द पुत्र मोटूराम
5. लालचन्द पुत्र मोटूराम
6. हणमान पुत्र मोटूराम
7. रघुनाथ पुत्र मोटूराम
8. शिशपाल पुत्र मोटूराम
9. धीसी देवी पुत्री मोटूराम
10. मीरा देवी पुत्री मोटूराम

    समस्त जाति अहीर निवासी लाम्बिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

11. सोनी देवी पत्नी मोटूराम जाति अहीर निवासी लाम्बिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर। (नाम हजफ)
12. कंचन पुत्री पूरणमल
13. सुगनी पुत्री पूरणमल
14. दाखा देवी पत्नी पूरणमल (नाम हजफ)
15. सीताराम पुत्र मोहन लाल
16. तेजपाल पुत्र मोहन लाल
17. मंगलचन्द पुत्र मालीराम उर्फ मालूराम

    समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लाम्बिया तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

18. पंजाब नेशनल बैंक खाटूश्याम जी तहसील दातारामगढ जिला सीकर
19. तहसीलदार तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अतिरिक्त [illegible] एवं
अति. जिला [illegible] (द्वितीय) जयपुर

4. निर्णय दिनांक	:	31.07.2025
5: अधिवक्तागणों का नाम	:	अ) अधिवक्ता श्री घीसा लाल कुमावत एवं श्री महेश चन्द शर्मा अपीलांट्स की ओर से। ब) अधिवक्ता श्री नवीन सिंघल रेस्पॉडेन्ट सं0 1 लगा 10 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 ने अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 लगायत 19 के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 28/1 रकबा 46 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 28/2 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 46 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम लुनियावास तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 लगायत 17 के दर्ज हिस्से में से 1/2 भाग अर्थात् सम्पूर्ण आराजी में 1/6 हिस्से के लिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 327/2016 प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 12/06/2018 को ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 315/2018 में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने दिनांक 29/06/2018 को सहायक कलक्टर सांभरलेक द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2018 की क्रियान्विति स्थगित कर दी। जिस आदेश की प्रमाणित प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार व पटवारी हल्का को दिनांक 04/07/2018 को अपीलान्ट द्वारा देने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने पीछे की तारीख 20/06/2018 के द्वारा अनुचित व अवैध रूप से नामान्तकरण अधीन अपील तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई। अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीन अपील दिनांक 20/06/2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 1627 ग्राम लुनियावास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने अपीलाधीन नामा0 सं0 1627 दिनांक 20/06/2018 की प्रमाणित प्रति एवं न्याया0 सहायक कलेक्टर सांभरलेक के प्रकरण सं0 327/16 निर्णय दिनांक 12/06/2018 की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 10 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन सिंघल ने वकालतनामा पेश किया। अन्य रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 लगायत 19 के विरुद्ध आराजी खसरा नम्बर 28/1 रकबा 46 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 28/2 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 46 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम लुनियावास के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक में राजस्व वाद संख्या 327/2016 प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने 20/06/2018 के द्वारा अनुचित व अवैध रूप से नामान्तकरण अधीन अपील तस्दीक कर दिया। अधिनस्थ तहसीलदार ने नामान्तकरण अधीन अपील तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सूचना एवं सुनवाई का

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate · JAIPUR

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अवसर प्रदान न कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है। पटवारी हल्का ने सहायक कलेक्टर सांभरलेक की डिक्री दिनांक 12 / 06 / 2018 व तहसीलदार के आदेश क्रमांक एल.आर / 18 / 3575 दिनांक 18 / 06 / 2018 की पालना में नामान्तकरण दिनांक 19 / 06 / 2018 को भरा है, तथा गिरदावर ने दिनांक 20 / 06 / 2018 को रिपोर्ट की है एवं उसी दिन दिनांक 20 / 06 / 2018 को अधिनस्थ तहसीलदार ने नामान्तकरण तस्दीक किया है। उपतहसीलदार ने बिना इजराय आदेश के ही नामान्तकरण अधीन अपील तस्दीक कर कर दिया। तहसीलदार ने नामान्तकरण तस्दीक करने संबंधी प्रावधानो लैण्ड रिकार्ड रूल्स के रूल 121 (4) की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीन अपील दिनांक 20 / 06 / 2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 1627 ग्राम लुनियावास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 लगा 10 ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना उपरान्त अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 1627 स्वीकृत किया है। मा0 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक द्वारा मु0नं0 327 / 2016 में निर्णय दिनांक 12 / 06 / 2018 व तहसीलदार के आदेश क्रमांक एल.आर / 18 / 3575 दिनांक 18 / 06 / 2018 की पालना में तस्दीक किया गया है। मा0 न्यायालय की पालना में स्वीकृत नामान्तकरण वैध है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं निराधार होने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अध्ययन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत अपील तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं0 1627 दिनांक 20 / 06 / 2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर के मु0नं0 327 / 16 में पारित निर्णय दिनांक 12 / 06 / 2018 की पालना में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 11 के तहत इजराय आदेश के पश्चात निर्णयानुसार नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। अतः तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामा0 सं0 1627 दिनांक 20 / 06 / 2018 विधिक प्रक्रिया के विपरीत एवं विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार के अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1627 दिनांक 20 / 06 / 2018 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर